भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2127
07/08/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्कटिक अनुसंधान के लिए पीआरवी

2127 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के ध्रुवीय अभियानों और अनुसंधान गतिविधियों में सहायता के लिए ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) की खरीद को स्वीकृति प्रदान की है;
(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए प्रारंभ में स्वीकृत समय-सीमा और अनुमानित लागत क्या है;
(ग) पीआरवी खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अधिग्रहण में लंबे समय से हो रही देरी के क्या कारण है;
(घ) क्या इस देरी से अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में भारत की अनुसंधान क्षमताएँ प्रभावित हुई हैं; और
(ङ) पोत को चालू करने के लिए संशोधित समय-सीमा, यदि कोई हो, क्या है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) व्यय विभाग (डीओई) ने हाल में भारत के ध्रुवीय अभियानों और शोध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक ध्रुवीय अनुसं धान पोत (पीआरवी) अधिग्रहण के लिए 2329.40 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। पीआरवी का अधिग्रहण समय-सीमा 2025-26 से 2029-30 है। पहले जारी निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि पहचाने गए जहाज निर्माता ने सहमत संविदात्मक शर्तों में बदलाव की मांग की थी जो स्वीकार्य नहीं था। पीआरवी का संशोधित लागत अनुमान भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), शिपिंग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से किया गया था। इसके बाद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने 2024 में बढ़े अनुमानों की लागत जांच और आकलन करने और संशोधित लागत अनुमानों की सिफारिश करने के लिए एक संशोधित लागत समिति (आरसीसी) का गठन किया। आरसीसी ने आकलन किया और कुल 2329.40 करोड़ रू. की परियोजना लागत का समर्थन किया।

(घ) अंटार्कटिका के लिए अभियानों में संभार संबंधी सहायता और संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान वार्षिक रूप से चार्टर्ड आइस-क्लास जहाजों के उपयोग के माध्यम से निर्बाध रूप से जारी रहे हैं।

(ङ) वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, संशोधित समय-सीमा 2025-26 से 2029-30 है। अवधारणा डिज़ाइन और विनिर्देश पहले ही पूरा हो चुका है। देश भर के विशेषज्ञों वाली परियोजना निगरानी एवं समन्वय समिति (पीएमसीसी) परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं के बीच समन्वय हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है।

*****